

संयुक्त प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा – 2015

सी.पी.एम.टी. – 2015 (C.P.M.T. – 2015)

विवरण पुस्तिका (Brochure)



उत्तर प्रदेश राज्य की
एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., पाठ्यक्रम
(M.B.B.S., B.D.S., B.H.M.S., B.A.M.S., B.U.M.S., Courses)

परीक्षा की तिथि – रविवार, 24 मई, 2015

Examination Date - Sunday, 24th May, 2015

अध्यक्ष : प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अस्वीकृति : परीक्षा निकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति,
Disclaimer : प्रवेश परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयनों हेतु उत्तरदायी नहीं है।

विषय सूची

(Index)

	पृष्ठ संख्या
1 महत्वपूर्ण सूचना	3
2 सी.पी.एम.टी. 2015 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ	4
4 महत्वपूर्ण सूचनाएं	5
3 आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया	7
5 परीक्षा कार्यक्रम	11
6 अर्हताएं	11
7 आरक्षण	14
8 प्रवेश-पत्र	17
9 अनुचित साधन	18
10 चयन एवं काउंसिलिंग	18
11 कॉलेजों की सूची / पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या	22
12 प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम	24
13 आरक्षण श्रेणियों के कोड	24
14 प्रमाण-पत्रों के प्रारूप	25

महत्वपूर्ण सूचना
(Important Information)

1. यह विवरण पुस्तिका उत्तर प्रदेश शासनादेश सं. 680/71-2-2015-127/2011 दिनांक 10 मार्च 2015 के अनुसार बनाई गई है। विवरण पुस्तिका तथा शासनादेश में विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।
2. शासन को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है, तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों-कालेज में किसी भी समय कोई भी संशोधन करने का भी अधिकार रहेगा।
3. सी.पी.एम.टी.-2015 परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक विवाद उ.प्र उच्च न्यायालय की **इलाहाबाद** पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी.पी.एम.टी. -2015 के आयोजन में परीक्षा एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा संपन्न कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर संपर्क स्थापित करें।

चेयरमैन,
सी.पी.एम.टी.-2015
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009 (उत्तर प्रदेश)

5. मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
6. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा सी.पी.एम.टी.-2015 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई संबंध है।
7. कॉलेजों के नाम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति तथा नियम इत्यादि, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र. तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी हैं। इसके लिये परीक्षक संस्था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का कोई दायित्व नहीं है।

चेतावनी (warning)

- परीक्षार्थियों को संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन करने से पूर्व अधिमानी अर्हता का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा निकाय अर्हता की पात्रता का आंकलन नहीं करेगी। अर्हता का आंकलन मूल प्रमाण पत्रों से काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय होगा। अर्हता के अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

- बायोमेट्रिक पद्धति (शारीरिक चिन्हों जैसे उँगली के निशानों अथवा आँखों की पुतलियों द्वारा व्यक्ति विशेष की पहचान की पद्धति) से अभ्यर्थी की पहचान का अनुसरण होगा। चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि, परीक्षा, काउन्सिलिंग या प्रवेश के पश्चात पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

सी.पी.एम.टी. – 2015 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ

1	फार्म डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	20 मार्च, 2015 से
2	फार्म भरने की अन्तिम तिथि	22 अप्रैल, 2015 सांय 5:00 बजे तक
3	प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	08 मई, 2015 से
4	प्रवेश परीक्षा की तिथि	24 मई, 2015
5	परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	15 जून, 2015
6	स्कूटनी हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि	18 जून, 2015
7	प्रथम चरण की काउन्सिलिंग (मात्र एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु)	25 जून, 2015 से पूर्व
8	प्रथम चरण की काउन्सिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	03 जुलाई, 2015 तक
9	द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग (समस्त पाठ्यक्रम हेतु)	27 जुलाई, 2015 तक
10	द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	02 अगस्त, 2015
11	तृतीय चरण की काउन्सिलिंग (समस्त पाठ्यक्रम हेतु)	6 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2015 के मध्य
12	तृतीय चरण की काउन्सिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	17 सितम्बर, 2015 तक
13	शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ	01 सितम्बर, 2015 से
14	अपरिहार्य कारणों से रिक्त हुई एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 की सीटों को भरे जाने हेतु आवंटन (मॉप अप राउण्ड)	30 सितम्बर, 2015 तक
15	प्रवेश की अन्तिम तिथि (एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु)	30 सितम्बर, 2015 तक
16	बी.एच.एम.एस. बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अन्तिम तिथि **	30 अक्टूबर, 2015 तक

** सी0सी0आई0एम0 / सी0सी0एच0 द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार। परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यकता हो राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिनमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित हैं) कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग की तिथियों में परिवर्तन की घोषणा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (डी.जी.एम.ई.) उत्तर प्रदेश, D.G.M.E. लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध होगी।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. आवेदन केवल ऑनलाइन द्वारा स्वीकार होगा। कोई भी प्रार्थना पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा।
2. आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में नगद भुगतान के 2 दिन पश्चात ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अन्तिम तिथि नगद भुगतान की सोमवार 20 अप्रैल 2015 निश्चित है।
3. आवेदक जो भुगतान इण्टरनेट पेमेन्ट गेटवे (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से करते हैं वे आवेदन 22 अप्रैल 2015 को सायं 5 बजे तक कर सकते हैं।
4. नानरिफण्डेबल आवेदन शुल्क सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए ₹0 1400/- एवं ₹0 700/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इसमें काउन्सिलिंग शुल्क (Counselling Fee) ₹0 50/- सम्मिलित है) + बैंक ट्रान्जेक्सन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

भुगतान का माध्यम	शुल्क
एस.बी.आई. नेट बैंकिंग	₹0 10/- प्रति ट्रांसेक्शन
स्टेट बैंक डेबिट कार्ड	₹0 10/- प्रति ट्रांसेक्शन
दूसरे बैंकों से इंटरनेट बैंकिंग	₹0 15/- प्रति ट्रांसेक्शन
दूसरे बैंकों के डेबिट कार्ड	₹0 2000/- तक 0.75 प्रतिशत ट्रांसेक्शन की रकम का
कोई भी क्रेडिट कार्ड	1.0 प्रतिशत ट्रांसेक्शन की रकम का (न्यूनतम ₹0 11/-)
नगद/चेक द्वारा जमा राशि (15,000 से ज्यादा एस.बी.आई. शाखाओं में)	₹0 50/-
सेवाकर अतिरिक्त	

5. इस विवरण पुस्तिका में उल्लिखित अर्हता खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा निकाय आवेदक की पात्रता का आंकलन नहीं करेगा। पात्रता मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य पात्र प्रवेश के योग्य नहीं होंगे और वे इसके स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. आवेदन स्वीकार करने की अन्तिम तिथि मंगलवार, 22 अप्रैल 2015 सायं 5 बजे तक।
7. आवेदक विवरण पुस्तिका (Brochure) पी.डी.एफ. कापी को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करना है :

कृपया विवरण पुस्तिका (Brochure) को डाउनलोड कर ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।

महत्वपूर्ण सूचना आवेदन के सन्दर्भ में –

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन (ONLINE) भरना है, किसी भी कागज पर भेजने की आवश्यकता नहीं। कृपया अपने आवेदन की प्रिन्ट, ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात सुनिश्चित कर लें।
2. अतिशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें अन्तिम तिथि की प्रतिक्षा न करें। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन तकनीकी व्यवधान के लिए "परीक्षा निकाय" उत्तरदायी नहीं होगा।

3. एक पूर्ण आवेदन के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं है।
4. अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।
5. अन्तिम आवेदन के पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रदत्त सूचनाएं सही हैं। यदि किसी कारणवश कुछ रह जाए तो पंजीकृत (पूर्व में उपयोग की हुई) ईमेल आई.डी. के माध्यम से संशोधित सूचना प्रेषित कर सकते हैं। यदि आधार सही है तो आपकी सूचना समावेशित कर ली जायेगी।
6. एक से अधिक बार आवेदन न करें, अन्यथा पहले वाली भी निरस्त कर दी जायेगी।
7. किसी भी प्रकार के दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
8. भविष्य में पत्राचार के लिए आवेदन पत्र आई.डी. नम्बर (application ID number) का उल्लेख करें।

UPCPMT 2015

आवेदन प्रक्रिया :

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in

1. आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कम्प्यूटर, इण्टरनेट कनेक्शन, प्रिन्टर की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया इस विवरण पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन करते समय आपको Scanned photo एवं Scanned Declaration Form (होमपेज पर उपलब्ध है) वर्णनन के अनुसार तैयार रखें।
2. **लॉगइन (log in) :** सर्वप्रथम उपरोक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन/लागइन को क्लिक करें। तत्पश्चात Declaration of the candidate को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। Candidate login page पर प्रथम बार रजिस्टर्ड होने वाले अभ्यर्थी New user के रूप में रजिस्ट्रेशन करवायेंगे, जिसमें उन्हें अपना नाम, लिंग, ईमेल आईडी एवं अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नम्बर भरना होगा। स्मरण रहे कि आपको सारे पत्राचार लागइन में प्रयुक्त हुए मोबाइल नम्बर पंजीकृत मोबाइल नम्बर (Registered Mobile Number) एवं ईमेल आई.डी. (Registered Email ID) से ही करने होंगे। एक मोबाइल नम्बर तथा एक ही ईमेल आई.डी. केवल एक ही अभ्यर्थी के लिए ही प्रयोग हो सकता है।
3. लागइन करने के बाद स्वतः एक यूजर आई डी और पासवर्ड आपके द्वारा प्रयोग किये गए मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त सबमिट लिंक पर जाकर आवेदन पत्र को भरना होगा।
पूरा फार्म भरने के बाद (Pay fees) लिंक पर जाकर क्लिक करें और निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें। फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना एप्लीकेशन फार्म सबमिट करें और प्रिन्ट निकाल लें। इसे भविष्य की प्रक्रिया के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
4. **भुगतान की प्रक्रिया :** अभ्यर्थी ऑन लाइन फीस (online fees) जमा करने के लिए बैंक द्वारा दिए गए लिंक (link) द्वारा कर सकते हैं और यदि वे बैंक की ब्रांच में कैश जमा करने के इच्छुक हों तो उसका चालान भी बैंक द्वारा दिए गए लिंक (link) द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं।

क. ऑनलाइन पेमेन्ट (Online payment) :

डेबिट/क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें (किसी भी बैंक का)।

नान रिफण्डेबल (non-refundable) आवेदन शुल्क क्रमशः सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए ₹0 1400/- एवं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ₹0 700/- है + इसमें काउन्सिलिंग शुल्क ₹0 50/- सम्मिलित है। अतिरिक्त बैंक ट्रान्जेक्शन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

ख. ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment in bank) :

बैंक द्वारा दिए गए लिंक पर उपलब्ध चालान फार्म स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) को अपने आरक्षण के अनुसार डाउनलोड कर लें।

अ. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी द्वारा ₹0 1400/- + ₹0 50/- (बैंक शुल्क) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा ₹0 700/- + ₹0 50/- (बैंक शुल्क) को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 34786966396 में नगद भुगतान करने के उपरान्त बैंक एक Financial Transaction reference no./जनरल संख्या (Journal Number)/चालान संख्या (Challan Number/Journal number) प्रदान करेगी जिसका उपयोग आवेदन पत्र में करने में होगा। फीस केवल सी0पी0एम0टी0 की वेबसाइट पर दिये गए लिंक द्वारा ही जमा की जा सकती है। जो आवेदक बैंक चालान द्वारा फीस जमा करने के इच्छुक हैं वो भी वेबसाइट पर दिये गए लिंक द्वारा ही

चालान का प्रिंट लेंगे तथा उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में फीस जमा करेंगे।

टिप्पणी : सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सी.पी.एम.टी. 2015 की फीस का भुगतान पंजीकरण करने के पश्चात गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये हुए लिंक द्वारा ही करें। अन्य किसी भी तरीके से फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। फीस का भुगतान किसी भी बैंक डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग एवं चालान के माध्यम से किया जा सकता है। बैंक शुल्क आदि अभ्यर्थी स्वयं ही वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु अभ्यर्थी sbi.15119@sbi.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।


Offline नगद भुगतान करने के 2 दिनों के कार्य दिवस के उपरान्त ही आवेदन की प्रक्रिया की जा सकेगी।

5. **फोटोग्राफ :**

एक जेपीजी (.jpg) फॉर्मेट फाइल होनी चाहिए। फोटोग्राफ सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं का अनुपालन करना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो का विवरण निम्न है

आवेदन के लिए केवल रंगीन फोटोग्राफ खिंचवायें। फोटो खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने गर्दन के सामने अवश्य रखें ताकि वह फोटो में स्पष्ट रूप से छपे। इसकी 10 प्रतियाँ (Passport size) बनवाकर रखें जो प्रवेश-पत्र परीक्षा काउंसिलिंग, प्रवेश इत्यादि में काम आयेंगी (Sample photo give)।

फोटोग्राफ सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

<ol style="list-style-type: none">1. उत्तम क्वालिटी की रंगीन फोटो का साइज़ 3.5 × 4.5 cm होना आवश्यक है तथा पूरा चेहरा कैमरे को देखते हुए सफेद बैक ग्राउन्ड पर, बिना काले चश्में, बिना टोपी के होना आवश्यक है।2. सिर से ऊपर से टुड्डी की दूरी कम से कम 2 से 3 सेमी होनी चाहिए।3. पोलेरॉयड कैमरा व इंकजेट प्रिंटर के फोटो मान्य नहीं होंगे।4. निम्नकोटि के फोटो के साथ आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।5. फोटो 20 मार्च, 2015 से पहले का न हो।	
---	---

6. वेबसाइट से **Declaration Form download** कर लें। उसमें वांछित सूचना तथा फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने कालेज के प्रधानाचार्य से प्रमाणित कराके भरकर पूरे पृष्ठ को **Scan** कर **upload** कर दें। इससे अपनी पासपोर्ट साइज़ (3.5 x 4.5 cm) की फोटो चिन्हित स्थान पर चिपकायें, अपनी **Handwriting** का नमूना, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली (**index finger**) का नमूना, अपने तथा अभिभावक/पिता का नाम तथा हस्ताक्षर करवा दें।
7. **Log in** करने के उपरान्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड (**upload**) कर आवेदन फार्म भरें। प्रीव्यू (**preview**) देखने के साथ संशोधन भी कर सकते हैं। पूर्णरूप से भरे हुए फार्म को **Submit** बटन द्वारा जमा करें। एक बार **Submit** किये जा चुके फार्म में फिर कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा।
8. फार्म को सफलतापूर्वक **submit** किये जाने के उपरान्त आपके मोबाइल और ईमेल आई.डी. (हमारे पास पंजीकृत) पर आपका आवेदन क्रमांक (**application number**) भेज दिया जायेगा।
9. अपने आवेदन फार्म का एक प्रिन्ट अवश्य ले लें और उसे **Save** कर लें। आवेदन क्रमांक नम्बर को लिख लें, पत्राचार में इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी।
10. उपरोक्त फार्म अपने लैपटाप (**Laptop**), डेस्कटाप (**Desktop**), किसी भी साइबर कैफे (**cybercafe**), या सरकारी मेडिकल कालेज से सहयोग प्राप्त कर भर सकते हैं।

पूर्णरूप से भरे हुए फार्म को जमा करने की अन्तिम तिथि
मंगलवार 22 अप्रैल, 2015 को सांय 5:00 बजे तक

1. कम्बाइंड प्री मेडिकल टेस्ट-2015 (सी.पी.एम.टी.-2015) के संदर्भ में सामान्य सूचना
(General Information related to Combined Pre-Medical Test-2015)

- (क) सी.पी.एम.टी.-2015 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2015-2016 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जायेगा।
1. एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S) 2. बी.डी.एस. (B.D.S) 3. बी.एच.एम.एस. (B.H.M.S)
4. बी.ए.एम.एस. (B.A.M.S) 5. बी.यू.एम.एस. (B.U.M.S)
- (ख) सी.पी.एम.टी.-2015 में चार विषयों में केवल एक ही प्रश्नपत्र होगा तथा परीक्षा एक ही दिन (रविवार 24 मई, 2015) में तथा एक ही पाली में निम्न कार्यक्रमानुसार होगी :
एक प्रश्नपत्र : रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान।
समय : प्रातः 09.00 बजे से 12.00 अपरान्ह तक। प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात् प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न इंटरमीडिएट (10+2) यू.पी.बोर्ड स्तर के होंगे।
- (ग) सभी विषयों के प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होंगे तथा निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- (घ) चयनित अभ्यर्थियों जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा हिन्दी से उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें हिन्दी विषय का एक प्रश्नपत्र जो हाईस्कूल स्तर के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना चयनित अभ्यर्थी डिग्री के लिए अर्ह नहीं होंगे। यह परीक्षा बाद में शासनादेश संख्या 4171/71-3-07-52/07 दिनांक 14 नवम्बर 2007 की व्यवस्था के अनुसार होगी।
- (ङ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अर्हताएं मद संख्या 3 में दी गयी हैं।
- (च) सी.पी.एम.टी.-2015 के परीक्षक मंडल द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप से मान्य होंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल Computer द्वारा ही होगा। किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जायेगा। परन्तु पुनरीक्षण (Scrutiny) का प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा O.M.R. Sheet की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- (छ) प्रश्न पत्र के उत्तर के लिये परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त पूरा 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।
- (ज) परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में ही छोड़ कर जाना होगा।
- (झ) परीक्षाफल घोषित होने के बाद शीघ्र ही प्रश्न पत्र के सही उत्तर (Key) वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- (ञ) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (लखनऊ बेंच) द्वारा सी.पी.एम.टी. के संबंध में पारित आदेशों का अनुपालन माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 418/एम./बी. ऑफ 1998 के विरुद्ध अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा।

2. परीक्षा कार्यक्रम (Examination Shedule)

सी.पी.एम.टी.–2015 का कार्यक्रम
परीक्षा तिथि – 24मई, 2015 (रविवार)

समय

प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे अपरान्ह तक

प्रश्नपत्र

Only One Paper Containing zoology (जंतु विज्ञान),
Botany (वनस्पति विज्ञान), Chemistry (रसायन विज्ञान)
and physics (भौतिक विज्ञान)

टिप्पणी :

1. परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाये।
2. परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल, डिजिटल डायरी इत्यादि या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन, ब्लूटूथ आदि) लाना वर्जित है।
3. सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर स्थान ग्रहण करें तथा उत्तरपुस्तिका में आवश्यक सूचनाएं प्रश्न पत्र शुरू होने से पूर्व भर लें। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
4. प्रश्न पत्र पर लगी हुई सील केन्द्र अधीक्षक के आदेशानुसार ध्वनि संकेत पर कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जाने पर ही तोड़ें।
5. प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में रचित होंगे।
6. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को विभिन्न सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। परीक्षा केन्द्र पर उनकी फोटोग्राफी की जायेगी व बायोमेट्रिक स्कैन, फिंगर प्रिंट इत्यादि लिया जायेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी और अगर अभ्यर्थी इससे विमुख होता है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जायेगा।
7. सुरक्षा जांच हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात भी रुकना पड़ सकता है। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी अपनी वापसी की यात्रा इसे ध्यान में रखते हुये प्लान करें।

3.अर्हताएं

(Eligibility)

- (क) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा मद संख्या 11 में प्रमाण पत्र – 1 की टिप्पणी में दी गयी है।
- (अ) जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उ.प्र. से उत्तीर्ण की हो, उन्हें उ.प्र. में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- (ब) ऐसे छात्र, जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “सामान्य निवास प्रमाण पत्र” काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो मद संख्या-11 में प्रमाण पत्र 1 (क) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स) ऐसे छात्र, जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को काउंसिलिंग/प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "मूल प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मूल निवासी की परिभाषा मद संख्या 11 में प्रमाण पत्र -1 (ख) के प्रारूप में दी गयी है।

(ख) आयु सीमा

प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 31 दिसंबर 1998 को या उसके पूर्व हुआ हो। आयु के सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी।

(ग) शैक्षिक अर्हता

(i) इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी0पी0एम0टी0 2015 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा 2015 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु सी0पी0एम0टी0 में सफल होने पर सम्बन्धित पाठ्यक्रम आवंटन/प्रवेश तभी अनुमान्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

- शासनादेश संख्या - 2991/71-2-12-55/2012 दिनांक 18.09.2012 ने यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने/काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाये तथा यदि उन्हें काउन्सिलिंग के उपरान्त वांछित विद्या की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने के उपरान्त नवीन विद्या के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे।
- एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997 के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी जो निम्नवत हैं:-

(a) The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on Education.

Note: Where the course contents is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical/Dental/Ayurvedic/ Homoeo-pathic/Unani College:

Or

(b) The intermediate examination in science of an Indian University, Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

Or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology, after passing either the higher secondary school examination or the pre-university of an equivalent examination shall include a practical test in Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology and also English as a compulsory subject:

Or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology including a practical test in these subjects provided the examination is a "university Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

Or

(e) B.Sc examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc examination with not less than two of the following subjects in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-Technology and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects - Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and English.

Or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board taking Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology including a practical test in each of these subjects and English.

(ii) एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत तथा सीपीएमटी में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। विकलांग उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दोनों मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत होंगे। (MCI letter no. MCI.34 (1) (GEN/2009.Med.2569) Dated 21.04.2009)।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(iv) यूनानी कालेजों में बीयूएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीपीएमटी 2015 में सम्मिलित होने के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा-10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। (काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।

(vi) बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सी0पी0एम0टी0 में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 35 प्रतिशत होगा।

(vii) अभ्यर्थी घोषणा पत्र (Declaration Form) पर विशेष ध्यान दें। अभ्यर्थी घोषणा पत्र को डाउनलोड करें व उसे पूर्णरूप से भरकर अपनी फोटो को चिपका कर सत्यापित करें, पूरे पृष्ठ को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा। घोषणा पत्र काउन्सिलिंग के समय मूलरूप में लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय घोषणा पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.आरक्षण

(Reservation)

(अ) सी.पी.एम.टी.-2015 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'वर्टिकल' आरक्षण प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21%
2. अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी	02%
3. अनुसूचित पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी	27%

अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना सं. 1576/17-वि.1-1(क)11-2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1/2002 की "अनुसूची-एक" में इंगित वर्गों से है। पिछड़े वर्ग के वह अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की 'अनुसूची-दो' अधिसूचना संख्या 22/16/12-का 2/1995 टी.सी. दिनांक 8-12-1995 द्वारा यथासंशोधित से आच्छादित न हो उनके ही पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1576/सत्रह-वि-1(क)-11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या-1 सन 2002 भी प्रभावी होगा।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तर-अ में उल्लिखित वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'वर्टिकल' आरक्षण प्रदान किया जायेगा। (शासनादेश सं.-18/26व.प्र./2010/जी.-112-2010 दिनांक 14.01.2011)

(I) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी	70%
(II) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी	15%

(ब) सी.पी.एम.टी.- 2015 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत "हॉरिजॉन्टल" आरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों, नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैंडिडेटों को निम्नवत "हॉरिजॉन्टल" आरक्षण प्रदान किया जायेगा-

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02%
2. भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02%

3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	03%
4.	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20%
5.	बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैंडेट	01%

यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा जिससे वह संबंधित हैं। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न हो कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों विकलांग श्रेणी एवं 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैंडेटों के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरुद्ध समायोजित किये जायेंगे।

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:

- (क) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उपश्रेणी जिसके अंतर्गत वह सी.पी.एम.टी.-2015 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। श्रेणियों का विवरण तथा कोड बिन्दु - 10 पर दिये गये हैं। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- (ग) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 3ग के प्राविधान लागू होंगे। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट में आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (घ) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को मद संख्या 11 के प्रमाण पत्र संख्या 2 पर शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप-2 के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।
- (ङ) विकलांग अभ्यर्थियों को सुरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा मेडिकल विश्वविद्यालय में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। उक्त विशेष बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात

काउन्सिलिंग के पहले दिनांक 19.6.2015 (संभावित तिथि) प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में बैठेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांग श्रेणी में अर्ह घोषित किये जायेंगे। केवल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र-3 पर दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी सी.पी.एम.टी. के किसी भी पाठ्यक्रम में अर्ह नहीं होंगे। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र सं. एम.सी.आई-34(1)(GEN/2009-मेड/2569 दिनांक 21.04.2009 की व्यवस्था के अनुसार प्रथम काउन्सिलिंग में 50% से 70% लोकोमोटरी डिशएबिलिटी के विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें आवंटित की जायेंगी। द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि विकलांग सीटें शेष रहती हैं तो ओपन कैटेगरी सीट में शामिल करने से पूर्व इन सीटों को 40% से 50% लोकोमोटरी डिशएबिलिटी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जायेगा।)

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों तथा बी.ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में शासनादेशों के साथ संलग्न प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। अनुसूचित जाति तथा जन जाति के जाति प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप **प्रमाण-पत्र-4** है। अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र **प्रारूप-पत्र - 5** पर प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में निवास स्थान के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। न्याय एवं कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्शानुसार "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की अविवाहित पुत्री तथा उनकी पुत्री के पुत्र/पुत्री हो।। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के **प्रमाण-पत्र-6** पर ही प्रस्तुत करना होगा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के **प्रमाण-पत्र-7** पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप के **प्रमाण-पत्र-8** पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी – यदि मद संख्या-11 में दी गयी सूचियों में वर्णित जातियों के अतिरिक्त कोई और जाति भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अर्न्तगत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है परन्तु इन सूचियों में नहीं दर्शायी गयी है तो उसे भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

**5.प्रवेश पत्र
(Admit Card)**

- (क) प्रवेश पत्र इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी इंटरनेट से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर रंगीन प्रिंट करेंगे। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा न ही कोई डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी होगा। यथा संभव प्रयास किया जायेगा कि प्रथम वरीयता नगर में ही उसे केन्द्र आवंटित किया जाय। परन्तु परीक्षक संस्था प्रथम एवं द्वितीय वरीयता नगर के अतिरिक्त किसी भी नगर में केन्द्र आवंटित कर सकती है एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र ज्ञात कर सकता है।
- (ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे सी.पी.एम.टी – 2015 के लिए अर्ह पाया गया हो और जो किसी भी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो, परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अगले वर्षों के सी.पी.एम.टी. के लिए समायोजित किया जायेगा।
- (ग) अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही सी.पी.एम.टी.–2015 में बैठने की अनुमति दी जायेगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (घ) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को सी.पी.एम.टी.–2015 में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो, चाहे उस अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र दे दिया गया हो, और उस प्रवेश-पत्र को सी.पी.एम.टी.–2015 परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो भी चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.–2015 को अधिकार है कि वह परीक्षा में बैठने की इस अनुमति को निरस्त कर सकता है।
- (ङ) किसी भी दशा में सी.पी.एम.टी.–2015 का आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा न ही अग्रिम वर्षों में समायोजित किया जायेगा।

No admit card will be sent by post. Admit Card shall be available for download on our website www.upcpmt2015.co.in. Admit Card can be downloaded using your valid user name and password from 08th May, 2015

प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रवेश पत्र दिनांक 08 मई 2015 से download कर सकते हैं। इसके लिए आपके द्वारा फार्म भरते समय प्रयोग किये गये user name तथा password की आवश्यकता होगी। कृपया अभ्यर्थी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैध ई-मेल/मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें।

6. अनुचित साधन (Unfair Means)

सी.पी.एम.टी.-2015 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर चाहे उनका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जायेगा।

परीक्षा स्थान पर कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, लागटेबल, लैपटाप पेजर या सेल्यूलर फोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेकर जाना या प्रयोग करना या अन्य किसी जुगाड़ का प्रयोग करना अनुचित साधनों (Unfair Means) का प्रयोग करना माना जायेगा।

7. चयन एवं काउंसिलिंग (Selection & counseling)

7.1 मेरिट सूची :

सभी पाठ्यक्रमों एवं कालेज का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम जूलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तथा बॉटनी के प्रश्नपत्रों में उसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है, तो पारस्परिक मेरिट प्रथमतः जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में किया जायेगा। जन्तु विज्ञान के अंक भी समान हों तो रसायन शास्त्र, तथा उसके बाद भौतिक शास्त्र में प्राप्त अंकों के क्रम में मेरिट निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम जन्मतिथि के आधार पर (ज्येष्ठ को वरीयता) निर्धारित किया जायेगा।

7.2 परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा :

- (क) सी.पी.एम.टी.-2015 के परीक्षाफल/मेरिट सूची/प्राप्तांकों की सूचनायें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in में प्रकाशित होगी। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि होती है तो आवश्यक संशोधन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित कराया जायेगा (इसके अलावा अगर कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप अनाधिकृत रूप से प्रकाशित करता है एवं उसमें गलतियां रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता है तो इसके लिए चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2015 उत्तर प्रदेश शासन अथवा चेयरमैन काउंसिलिंग बोर्ड किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे व उसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा)।
- (ख) परीक्षाफल/मेरिट सूची हमारी वेबसाइट www.upcpmt2015.co.in पर उपलब्ध करायी जायेगी। डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। वेबसाइट पर Solution Key भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ग) **स्क्रूटनी (पुनरीक्षण) का प्रावधान :** अभ्यर्थी प्राप्त अंकों का आंकलन स्वयं O.M.R. answer sheet की कार्बन प्रतिलिपि के उत्तरों को Solution Key से मिलाकर कर सकता है। परन्तु यदि उसे प्रतीत होती है कि कोई त्रुटि हो गयी है तो वह सी.पी.एम.टी.-2015 को रू0 350/-प्रति प्रश्न पत्र का बैंक ड्राफ्ट जो चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2015, गोरखपुर में देय हो, भेजकर परीक्षाफल घोषित होने के 03 दिन के अन्दर सादे कागज पर अथवा पंजीकृत ईमेल एड्रेस से आवेदन के साथ स्क्रूटनी करा सकता है।

7.3 काउंसिलिंग संबंधी सूचना :

- (क) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग 25 जून 2015 के पूर्व होगी। मान्यता प्राप्त कॉलेजों के एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों हेतु काउंसिलिंग की जायेगी तथा काउंसिलिंग संबंधी तिथियां समय तथा स्थान व अन्य विवरण परीक्षाफल के साथ यथासंभव प्रकाशित किया जायेगा। काउंसिलिंग का कार्य महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. द्वारा प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों तथा वेबसाइट (www.updgm.in) में प्रकाशित की जायेगी।
- (ख) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग 27 जुलाई 2015 तक आयोजित की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तरप्रदेश द्वारा समाचार पत्रों एवं वेब साइट में प्रकाशित कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रथम चक्र से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनरावंटन हेतु भाग ले सकेंगे। द्वितीय चक्र में प्रोविजनल आवंटन के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों को अन्तिम आवंटन करने से पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों का आवंटन अन्तिम करने से पूर्व अनुसूचित जाति की सीटों में सम्मिलित कर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि अन्तिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणियों की सीटें रिक्त रह गयी है, तो उन्हें भी सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जायेगा।
- (ग) काउंसिलिंग वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चार काउंसिलिंग केन्द्रों पर की जायेगी। काउंसिलिंग संबंधी विवरण एवं प्रक्रिया वेबसाइट, www.upcpmt2015.co.in एवं www.updgm.in पर काउंसिलिंग से पूर्व समावेशित कर दिये जायेंगे।

7.4 काउंसिलिंग :

- (क) मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को स्वयं सी.पी.एम.टी.-2015 के प्रवेश पत्र तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक-एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।
1. मद संख्या 3 में वर्णित अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र तथा/अथवा अंकतालिका (इंटरमीडिएट/इंटरमीडिएट एवं बी.एस.सी.)।
 2. आवेदन-पत्र के साथ दिये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी से बना हुआ 2 फोटोग्राफ।
 3. श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों) मूल रूप में (Original)।
 4. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
 5. यदि बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हों तो दसवीं कक्षा के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
 6. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का मूल उपयुक्त प्रमाण-पत्र।
 7. **आवेदन-पत्र (Application Form)** – फार्म भरते समय अभ्यर्थी को फार्म का प्रिंट निकालना अनिवार्य है अथवा इसको save कर के रख लें। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र खो जाता है तो उसे सी.पी.एम.टी.-2015 (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) के खाते 34786966396 में ₹0 350/- जमा करने होंगे (बैंक ड्राफ्ट या नगद धनराशि जमा करके) उसके पश्चात ही द्वितीय आवेदन-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 8. **प्रवेश-पत्र (Admit card)** - यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है इसमें कक्ष-निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे अतः इसे अत्यंत सावधानी से रखें। यदि किसी कारणवश यह खो जाता है तो आपको पुलिस एफ0आइ0आर0 की मूलप्रति एवं सी.पी.एम.टी.-2015 के खाते 34786966396 में 350/- रूपये की धनराशि जमा करने होंगे उसके पश्चात ही इस पर विचार किया जायेगा।

9. घोषणा-पत्र (Declaration Form) की मूल प्रति खो जाने पर UPCMT 2015 के खाते 34786966396 में 350/- रूपये जमा करके प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।
- (ख) काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (ग) पाठ्यक्रमों की सूची मद संख्या 1 (क) में दी गयी है। कॉलेजों की सूची मद संख्या 8 में दी गई है जिसमें काउन्सिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।
- (घ) अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके स्टेट रैंक (Combined General Rank) के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों/कालेजों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित श्रेणियों की काउन्सिलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने स्टेट रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। हॉरिजॉन्टल श्रेणी (FF – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, ES- भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री, PH – विकलांग, (WC) – महिला NCC एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक), के अभ्यर्थियों को भी स्टेट रैंक के अनुसार ही काउन्सिलिंग में भाग लेना होगा। अलग से उपश्रेणियों की काउंसिलिंग नहीं होगी। जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे केवल उन्हें ही उपश्रेणियों में समायोजन के लिये अर्ह माना जायेगा।
- (ङ) काउन्सिलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि रू0 5,000/- तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/- ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से बैंक में जमा करना होगा। इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण काउंसिलिंग की समय सारिणी के साथ दैनिक समाचार पत्रों तथा वेबसाईट www.updgm.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (च) यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- (छ) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे देता है (यू0पी0सी0पी0एम0टी0 की काउंसिलिंग में पुनरावंटन की स्थिति को छोड़कर), तो उसे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/- वापस नहीं की जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि काउन्सिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के शहरों का चयन (**Choice of C.P.M.T. Cities**): किन्ही दो शहरों का चयन दिये हुये कोड के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार करिये :

SNO.	CITY	SNO.	CITY	SNO.	CITY	SNO.	CITY	SNO.	CITY
1	Agra	4	Bareilly	7	Gorakhpur	10	Lucknow	13	Noida
2	Aligarh	5	Faizabad	8	Jhansi	11	Meerut	14	Saharanpur
3	Allahabad	6	Ghaziabad	9	Kanpur	12	Moradabad	15	Varanasi

8. कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या
(List of Colleges, Courses and Available Seats)

(क) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम/कॉलेजवार सीटों की कुल संख्या
1. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ*	210
2. जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
3. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा*	124
4. एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद*	124
5. एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ*	124
6. एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी*	82
7. बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर*	82
8. उ.प्र. ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा*	127
9. राजकीय एलापैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर* (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
10. राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज* (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
11. राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन* (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
12. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	85
योग : ऐलोपैथिक	1372

नोट:- * भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ख) बी.डी.एस. पाठ्यक्रम

1. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ (दंत संकाय)	51
--	----

(ग) बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

1. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ*	50
2. लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद*	50
3. कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर*	50

4. डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद*	30
5. श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़*	30
6. गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर*	50
7. केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद*	40
योग : बी.एच.एम.एस.	300

नोट:— * भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(घ) 'बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम'

1. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ*	50
2. ललितहरि आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत*	50
3. आयुर्वेदिक कॉलेज, अतर्रा (बांदा)*	40
4. बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, झांसी*	40
5. शाहू रामनारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कॉलेज, बरेली*	40
6. स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुर, मुजफरनगर*	30
7. लालबहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, हंडिया, इलाहाबाद*	30
8. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी*	40
योग : बी.ए.एम.एस.	320

नोट:— * भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ड.) बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम

यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	40
तकमिल-उत्तिब कॉलेज, लखनऊ	40
योग : बी.यू.एम.एस.	80

नोट:—* भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

Note: Seats can be increased or decreased in any institution at any time on the direction of the Government.

टिप्पणी : सीटों की संख्या किसी भी संस्था में सरकार द्वारा किसी भी समय बढ़ायी व घटायी जा सकती है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कालेजों की अद्यतन स्थिति

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों पर राज्य सरकार के अधिनियम उ.प्र. निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.01.2007 लागू है। यह आदेश याचिका संख्या 34(एम./बी.)2007 एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेंटल कालेजेज ऑफ उ.प्र. राज्य व अन्य राज्य में पारित है। अतः जो भारत सरकार से अनुमति प्राप्त/मान्यता प्राप्त कालेज स्वेच्छा से सी.पी.एम.टी. परीक्षा से छात्र/छात्रा लेना चाहेंगे उन्हें ही छात्र-छात्रा आवंटित किये जायेंगे। इस संबंध में शासन/मा. न्यायालय के जो भी आदेश काउंसिलिंग के समय लागू होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम – 2015
(Syllabus for Entrance Examination - 2015)

सी.पी.एम.टी.–2015 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों अर्थात् जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान में परीक्षा ली जायेगी। सी.पी.एम.टी.–2015 की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 नम्बर का होगा। प्रश्नपत्र के लिए 3 घण्टे की समयावधि निर्धारित है। सभी विषयों के प्रश्न-पत्र यू0पी0 बोर्ड के इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम (2015) पर आधारित होंगे। परीक्षा एक दिन में तथा एक ही पाली में आयोजित की जायेगी।

10. आरक्षण श्रेणियों का कोड
(Code for Various Reserve Categories)

श्रेणी	कोड
सामान्य	10
सामान्य-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	15
सामान्य भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री	16
सामान्य विकलांग	17
सामान्य-एन.सी.सी.-सी सर्टिफिकेटधारी	18
अन्य पिछड़ा वर्ग	20
अन्य पिछड़ा वर्ग-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	25
अन्य पिछड़ा वर्ग-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री	26
अन्य पिछड़ा वर्ग-विकलांग	27
अन्य पिछड़ा वर्ग-एन.सी.सी.-सर्टिफिकेटधारी	28
अनुसूचित जाति	30
अनुसूचित जाति-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	35
अनुसूचित जाति-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री	36
अनुसूचित जाति-विकलांग	37
अनुसूचित जाति-एन.सी.सी.-सी. सर्टिफिकेटधारी	38
अनुसूचित जनजाति	40
अनुसूचित जनजाति-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	45
अनुसूचित जनजाति-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री	46
अनुसूचित जनजाति-विकलांग	47
अनुसूचित जनजाति-एन.सी.सी.-सी सर्टिफिकेटधारी	48

11. प्रमाण-पत्रों का प्रारूप (Format of Certificates)

(नीचे दिये गये प्रारूपों में ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

11. प्रमाण पत्रों का प्रारूप

(Format of Certificates)

(नीचे दिये गये प्रारूपों में ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण पत्र नं. 1 (क)

(केवल उन्ही अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल अथवा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

यू0पी0सी0पी0एम0टी0 हेतु मान्य

कार्यालय जिलाधिकारी(जनपद का नाम)

“सामान्य निवास प्रमाण पत्र”

प्रमाण पत्र संख्या.....

दिनांक

तहसीलदार की जाँच आख्या दिनांक के आधार पर एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मकान नं0.....ग्राम/मोहल्ला..... थाना..... तहसील..... जिला उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं तथा इनका वर्तमान पता है। उपर्युक्त की पुष्टि आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा तहसीलदार की आख्या से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 के जनपद का सामान्य निवासी होने (ORDINARILY RESIDENT) विषयक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम तथा सील.....

(उ0प्र0 में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

नोट- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपरोक्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

1- केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2- निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3- कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4-उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ-पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

5-विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अथवा

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमत्य होगा

1- उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2- उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3- देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

4- अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण-पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....श्री.....के पुत्र/पुत्री हैं, जो..... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर.....

जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....

सील

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण-पत्र नं. 1 (ख) (UPPR)
(उ.प्र. में निवास का प्रमाण पत्र)

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री श्री उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं.....को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या..... के अन्तर्गत आता है।
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर.....
दिनांक पूरा नाम
पदनाम तथा सील.....
(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

टिप्पणी :

1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

(क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

(ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन-पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं है।

अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ-पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

(घ) विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

2. अपवाद : अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा

(i) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(ii) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(iii) देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है)।

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण-पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
..... श्री..... के पुत्र/पुत्री हैं, जो..... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

सील

प्रमाण-पत्र नं. 2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/श्री.....
..... निवासी ग्राम तहसील..... नगर..... जिला.....
..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपए या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर जिला..... में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

दिनांक

पूरा नाम

स्थान.....

पद नाम तथा सील.....

मुहर

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

NOTE: This certificate will be acceptable only if it is issued after March 31st, 2015. Profoma of certificate shall change according to latest Govt. order.

नोट : मार्च 31, 2015 के बाद जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप, शासन के अध्याविधि आदेश के अनुसार होना चाहिए।

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

- | | | |
|---|---|---|
| 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय | 29. नायक | 56. सक्का भिस्ती, भिस्ती अब्बासी |
| 2. टरख, अर्कवंशीय | 30. फकीर | 57. धोबी (जो अनुसूचित जातियों/
अनुसूचित जन-जातियां गंधी, अर्काक
की श्रेणी में सम्मिलित न हों) |
| 3. काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य | 31. बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी | 58. कतेरा, ठटेरा, ताम्रकार |
| 4. कहार, कश्यप | 32. बढई, शेफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया,
जांगिड, धीमान | 59. नानबाई |
| 5. केवट या मल्लाह, निषाद | 33. बरी | 60. मैर शिकार |
| 6. थकसान | 34. बैरानी | 61. शेख, सरबरी (पिराई) पीराही |
| 7. कोइरी | 35. बिन्द | 62. मेद, मेवाती |
| 8. कुम्हार, प्रजापति | 36. बियार | 63. कोष्टा/कष्टी |
| 9. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल,
कुर्मी सैथवार | 37. भर, राजभर | 64. रोड |
| 10. कम्बोज | 38. भुर्जी, भडभेजा, भूज, कशोधन | 65. खुमरा, संगत राम, हसीरी |
| 11. कसंगर | 39. भठियारा | 66. मोर्चा |
| 12. कुजड़ा या राईन | 40. माली, सैनी | 67. खागी |
| 13. गोसाई | 41. मनिहार, कचेर, लसैरा | 68. तंवर सिंघाडिया |
| 14. गूजर | 42. मुराव या मुराई, मोर्य | 69. कतुआ |
| 15. गड़ेरिया, पाल, और बघेल | 43. मोमिन अंसार | 70. महीगीर |
| 16. गद्दी, घोशी | 44. भिरासी | 71. छांगी |
| 17. थगरि | 45. मुस्लिम कायस्थ | 72. धाकड़ |
| 18. चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक | 46. मारछा | 73. गाड़ा |
| 19. छीपी, छीपा | 47. रंगरेज, रंगवा | 74. तंतवा |
| 20. जेगी | 48. लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी-राजपूत | 75. जोरिया |
| 21. झोजा | 49. लोहार, शेफी | 76. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी |
| 22. डफाली | 50. लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर,
लोनिया-चौहान | 77. जाट |
| 23. तमोली, बरई, चौरसिया | 51. सोनार, सुनार, स्वर्णकार | 78. कलाल, कलवार, कलार |
| 24. तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार | 52. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों
में सम्मिलित न हो), हलालखोर | 79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे,
कडरेकिरण (कर्ण) |
| 25. दर्जी, इदरीसी, काकतस्था | 53. हलवाई मोदनवाल | |
| 26. धीवर | 54. हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास | |
| 27. नक्काल | 55. रायसिख | |
| 28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में
सम्मिलित न हो) | | |

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्देष्ट से कर लिया जाय।

प्रमाण-पत्र नं. 3

विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPPH)

संख्या दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सी.पी.एम.टी.-2012

अनुक्रमांक* पुत्र/पुत्री श्रीसी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते/आती हैं, कि एम.सी.आई. के पत्र सं.-एम.सी. आई.-34(1)/2009-मेड/02569, दिनांक 21.04.2009 के अनुसार श्री/श्रीमती/ कुमारी..... की सिर्फ लोवर लिम्ब की विकलांगता 50% से 70%** अथवा 40% से 50%** के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..... अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील
एवं फोटोग्राफ

प्रति हस्ताक्षरित

मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण-पत्र जारी करें।

** नोट:- जो लागू न हो उसे काट दिया जाय। यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण-जारी न किया जाये।

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण-पत्र नं. 4

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप) (UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी ग्राम.....
तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....
..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान)
अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश केग्राम.....
... तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

पदनाम तथा सील

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई
हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1. अगरीया	29. धरकार	57. पंखा	6. गोंड, धुरिया, नायक,
2. बधिक	30. धोबी	58. पहरिया	ओझा, पटारी, राजगोंड
3. वदी	31. डोम	59. पसी, तरमाली	(महाराजगंज, सिद्धार्थनगर,
4. बहेलिया	32. डोमर	60. पतरी	बस्ती, गोरखपुर, देवरिया,
5. बैगा	33. दुसाध	61. श्रावत	मऊ, आजमगढ़, जौनपुर,
6. बैसवार	34. धरमी	62. सहरिया	बलिया,
7. बजनिया	35. धसिया	63. सनोरिया	गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर
8. बजगी	36. गोंड	64. सांसिया	एवं सोनभद्र जनपदों में)
9. ब्लहर	37. ग्वाल	65. शिल्पकार	7. खरवार, खैरवार
10. बलई	38. हबुड़ा	66. तुरैहा	(देवरिया, बलिया, गाजीपुर,
11. बाल्मीकि	39. केली	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित	वाराणसी एवं सोनभद्र
12. बंगाली	40. केला	जनजातियों की सूची	जनपदों में)
13. बनमानुश	41. कलाबाज	1. थारू	8. सहरिया (ललितपुर जिले
14. बांसफोर	42. कंजड़	2. बेनस	में)
15. बरवार	43. कबडिया	3. भोटिया	9. परहिया (सोनभद्र जिले
16. बसोड़	44. करबल	4. श्राजी	में)
17. बयरिया	45. खरैता	5. जौनसारी	10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
18. बेलदार	46. खरबार (बनवासी को	शासनादेश संख्या-111 भा.	11. पंखा, पनिका (सोनभद्र
19. बेड़िया	छोड़कर	स./26.03.2003(7) /2003	एवं मिर्जापुर में)
20. भ्रांतु	47. खटिक	दिनांक 3.07.2003 के द्वारा	12. अगरिया (सोनभद्र
21. भुइया	48. खरोट	भारत सरकार ने अनुसूचित	जनपद में)
22. बोरिया	49. कोल	जातियों एवं अनुसूचित	13. पटारी (सोनभद्र जनपद
23. भदयार	50. कोरी	जनजातियों आदेश	में)
24. चमार, झूसिया, धूसिया,	51. कोरवा	(संशोधन) अधिनियम 2002	14. चैरो (सोनभद्र एवं
जाटव	52. ललबेगी	द्वारा निम्नलिखित जातियों	वाराणसी जनपद में)
25. नेरो	53. मझवार	को अनुसूचित जनजाति की	15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र
26. छबगर	54. मजहबी	सूची में सम्मिलित किया	जनपद में)
27. धांगर	55. मुसहर	है:-	
28. धानुक	56. नट		

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र नं. 5

(अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र से उ.प्र. में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म)

जाति के प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री.....
निवासी गांव/शहर.....जिला/मंडल.....राज्य/संघ
शासित क्षेत्र का अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

1. संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950
3. संविधान (अनुसूचित जातियों) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1950
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों सूची (संशोधन आदेश, 1956 बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-1971 तथा अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-1976 (द्वारा यथा संशोधन)।
5. संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1956
6. संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1959
7. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियाँ, आदेश, 1962
8. संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1962
9. संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियाँ, आदेश, 1964
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
11. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1968
12. संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1960
13. संविधान (नागा) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके पिता/माताश्री/श्रीमती.....
निवासी ग्राम/शहर.....जिला/मंडल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....को दिये गये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है जो.....जाति/जनजाति के हैं
.....जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....द्वारा अपने पत्र संख्या.....दिनांक.....के अंतर्गत जारी किया गया।
(निर्धारित प्राधिकारी का नाम)
स्थान जिलाधिकारी के हस्ताक्षर.....
राज्य/संघ शासित क्षेत्र..... पद
दिनांक मोहर
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

नोट:- यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार, गृह मन्त्रालय के पत्र संख्या-वी.सी.16014/1-82 एस.सी. एण्ड वी.सी.डी.-1 नई दिल्ली दिनांक 18-25 नवम्बर 1982 के निदेशानुसार जारी किया जाये। निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

यू0पी0सी0पी0एम0टी0 हेतु मान्य

प्रमाण-पत्र नं. 6 (UP FF)

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र)

(रिट सी. संख्या-41279 ऑफ 2014 ईशा त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2014 के अनुपालन में यथासंशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी.....
ग्राम तहसील..... नगर.....जिला.....
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी आश्रित.....पुत्र/पुत्री/ पौत्र/अविवाहित पौत्री(पुत्र का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री)/नाती अथवा अविवाहित नातिन (पुत्री का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री) उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... के आश्रित हैं।
स्थान हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पूरा नाम.....
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..... पद नाम.....
जिलाधिकारी.....

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण-पत्र नं. 7

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....निवासीने स्वतन्त्रता प्राप्ति के

बाद भारतीय.....सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक..... को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री भारतीय..... सेना की यूनिट..... में नियुक्त थे।

दिनांक सेना की संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....निवासी
.....उपरोक्त श्री के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता

थल/नभ/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम

यूनिट की संख्या व पता

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण-पत्र नं. 8 (UPNC)
राष्ट्रीय कैडेट कोर
NATIONAL CADET CORPS
प्रमाण पत्र "सी"
CERTIFICATE "C"

सं. रैंक

No. Rank

नाम सुपुत्र/सुपुत्री

Name Son/Daughter of.....

यूनिट

Unit

NCC Directorate (राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय).....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन्..... में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in 'B' Grade held in year..... under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.

Sr. No.

स्थान

Place.....

दिनांक

Date.....

Brigadier

Dy DG NCC DTE (UP&UA) Lucknow

उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर

Dy. Director General, National Cadet Corps

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।